न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट संख्याः– 15/17 (RCMS No.2017/00241 (विविध)

मीरादेवी पत्नि रामनिवास सिंह जाति ठाकुर निवासी सलेमपुर तहसील बसेडी जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम अग्रवाल तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर
2. गंगाराम गिरदावर तहसील बसेडी जिला धौलपुर
3. गणेश पटवारी पांके ग्राम सलेमपुर बसेडी जिला धौलपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जाब्ता दीवानी

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्रीपंकज कुमार वकील अप्रार्थीगण

नि र्ण यदिनांकः–26.07.2018

सत्यमेव जयते

यह कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2012 की पालना नही करने पर पेश किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसेडी के न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 435 रकवा 16 विस्वा वॉके ग्राम सलेमपुर तहसील बसेडी का प्रार्थी खातेदार था। हाल बन्दोवस्त ने ख0 नं0 577 रकवा 20 एयर बनाया है। मौके पर रकवा पूर्ण है जबकि नक्शे में रकवा 18 एयर बैठता है जो पूरा कर दुरूस्ती की जावे अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बसेडी से रिपोर्ट लेकर यह माना कि इतनी छोटी जगह का नक्शे में तरमीम किया जाना संभव नही है इसलिये प्राथ्रना पत्र खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में अपील पेश हुई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने नक्शा ट्रेस में रकवा पूर्ती करने के लिये रिमाण्ड कर दिया।तहसीलदार ने द्वारा निर्णय की पालना नही करने पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूकि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का काफी समय से पद रिक्त होने से न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के प्रकरण इस न्यायालय द्वारा सुने जा रहे हैं। इसलिये यह प्रकरण सुनवाई के लिये इस न्यायालय में रखा गया।

विद्वान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बसेडी को पालना हेतु भेज दिया। तहसीलदार बसेडी ने आदेश के मुताविक मौमिया ट्रेस तलाश कर पालना हेतु गिरदावर व पटवारी को भेज दिया किन्तु उक्त आदेश की पालना तहसीलदार बसेडी ने नही की, न ही गिरदावर व पटवारी हल्का कर रहे हैं। प्रार्थीया कई बार तहसीलदार बसेडी के पास गई लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नही की है। श्रीमानजी के आदेश की पालना अभी तक नही की है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की कोई परवाह नही की है, न ही वह न्यायालय के आदेश को मानने को तैयार है, न ही कोई कार्यवाही करने को तैयार है। श्रीमानजी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियाजाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 की अवज्ञा करने के कारण अप्रार्थीगण को सिविल जेल भिजवाया जाकर अप्रार्थीगण की चल व अचल सम्पत्ती कुर्क किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

विद्धान वकील अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कियाहै। श्रीमानजी के आदेश दिनांक 28.02.12 की पालना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी बसेडी ने दिनांक 23.11.2012 को एक पत्र तहसीलदार बसेडी को भेजा जिसमें आदेश की पालना का निर्देश दिया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 को दिनांक 18.03.13 को पत्र लिखा जिसमें आदेश की पालना सुनिशचित करने का निर्देश दिया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 ने मौके पर जाकर जॉच की व रिकार्ड का अवलोकन किया और दिनांक 21.03.2013 को एक रिपोर्ट अप्रार्थी सं0 1 को प्रेषित की जिसमें समस्त तथ्यों का विवरण देते हुऐ यह लिखा गया कि मौके की स्थिति इस प्रकार है कि बिना बन्दोवस्त विभाग की मदद के पैमाइश वरिकार्ड में दुरूस्ती नही की जा सकती है। अप्रार्थी सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 25.03.2013 को पत्र लिखकर समस्त वस्तुस्थिति से अवगत कराया तथा उनसे मार्गदर्शन मांगा है। उपखण्ड अधिकारी बसेडी ने दिनांक 25.06.2013 को तहसीलदार बसेडी को पत्र लिखा। उस समय तक अप्रार्थी सं0 1 का तबादला उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) के पद पर हो चुका था। तहसीलदार बसेडी ने दिनांक 09.07.2013 को पुनः अप्रार्थी संख्या 2 व3 को पत्र लिखकर निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिये कहा। उनका तर्क है कि ख0नं0 577 जिसके नक्शे में प्रार्थीया दुरूस्ती चाहती है उसके तीन तरफ आबादी बसी हुई है व एक तरफ सड़क निकली हुई है। नक्शे व रिकार्ड में जांच करने पर रिकार्ड में जहां रकवा 0.20 है0 है, वही नक्शे में 0.18 से 0.19 है0 बैठता है। नक्शे व रिकार्ड में मामूली अन्तर होने के कारण व तीन तरफ आबादी व एक तरफ सड़क होने के कारण नक्शे में दुरूस्ती में थोडी परेशानी आ रही है इसलिये बन्दोवस्त विभाग की टीम की मदद के लिये लिखा गया है। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार से श्रीमान् के आदेशकी अवहेलना नही की है, पालना के लिये हर संभव प्रयास किये जा रहे है। अप्रार्थी सं0 1 उपखण्ड अधिकारी के पद से रिटायर हो चुके हैं। इसी प्रकार अप्राथी संख्या 2 व 3 का स्थानान्तरकण हो गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण जब तक अपने पद पर रहे तब तक उन्होंने श्रीमान के आदेशों की पालना का पूरा प्रयास किया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।प्रार्थीया का गत के अनुसार रकवा पूरा होना चाहिये। प्रार्थीया के ख0 नं0 577 का रकवा 20 एयर है, जो गत के अनुसार पूरा है। नक्शे में 18–19 एयर बैठता है। जिसकी दुरूस्ती हेतु अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आदेश पारित किये थे जिसकी पालना में तहसीलदार ने गिरदावर व पटवारी अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को लिखा है। जैसाकि पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार के पत्रांक 499 दिनांक 18.03.2013 की फोटोप्रति से प्रकट होता है। गिरदावर ने अपनी रिपोर्ट फोटोप्रति दिनांक 21.03.2013 जो तहसीलदार को भेजी है उसमें अंकित किया है कि तीन तरफ आवादी बसी हुई व उत्तरी साइड में आम रास्ता सीसीसड़क है। अतः प्रार्थीया के ख0 नं0 की तरमीम पुराने नक्शे

के अनुसार करना संभव नही है। प्रार्थीया का रकवा रिकार्ड जमाबन्दी व मौका के अनुसार सही है। अतः इस प्रकरण में बनदोवस्त विभाग का सहयोग अपेक्षित है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बसेडी ने अपने पत्रांक 551 दिनांक 25.03.2013 से उपखण्ड अधिकारी बसेडी को लिखा है। पुनः तहसीसलदार बसेडी ने पत्र क्रमांक/ भूअ/2013/1668 दिनांक 09.07.2013 से भू अभिलेखनिरीक्षक वृत रतनपुर पटवारी हलका सलेमपुर को उक्त आदेश की पालना के लिये लिखा है। उक्त पत्र की पालना में गिरदावर व पटवारी ने कार्यवाही भी की है परन्तु पडोसियों का रकवा प्रभावित हो रहा है। मौके पर प्रार्थीया का रकवा पूरा बैठता है। इसलिये यह नही माना जा सकता कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हो। अप्रार्थीगण ने पालना करने की पूरी कार्यवाही की है। जैसाकि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रतियों से अवगत हो रहा है। प्रार्थीया का यह कथन उचित नही है कि तहसीलदार ने न्यायालय के आदेश की पालना करने का प्रयास नही किया है। प्रार्थीया का यह कहना कि उन्होंने कोई कार्यवाही नही की है, उचित नही है।प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official